न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

मुरारीलाल अग्रवाल आयु करीब 61 वर्ष
आत्मज स्व. श्री हेमराज अग्रवाल
निवासी–7वी लाईन दिगम्बर जैन मंदिर के सामने
वार्ड नंबर 32 इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद-----------------याचिकाकर्ता

निगरानी-3892/2018/होशंगाबाद/भू.रा.स.

आवेदक अभि. श्री जे.पी. शुक्ला द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत 29/5/18

बनाम

1. श्री सोहन कुमार रसाल आयु करीब 52 वर्ष
आत्मज स्व. श्री उद्धव रसाल निवासी–वार्ड नंबर 31,
तालाब मोहल्ला इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

2. श्रीमति गुलाबबाई अग्रवाल आयु करीब 80 वर्ष
पत्नि स्व. श्री नवलकिशोर अग्रवाल

3. श्री बंसीधर अग्रवाल आयु करीब 63 वर्ष
आत्मज स्व. श्री नवलकिशोर अग्रवाल

4. श्री अशोक कुमार अग्रवाल आयु करीब 60 वर्ष
आत्मज श्री केसरीमल अग्रवाल

5. श्री महेश कुमार अग्रवाल आयु करीब 55 वर्ष
आत्मज श्री केसरीमल अग्रवाल
क्रमांक 1 लगायत 4 निवासी–छनेरा
नया हरसूद जिला खण्डवा-----------------------------------उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता की ओर से निम्न याचिका प्रस्तुत हैं :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान नजूल अधिकारी महोदय होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 0013/अ–06(1) वर्ष 2017–18 जिसके पक्षकार सोहन रसाल विरूद्ध गुलाबबाई व अन्य हैं, में पारित आदेश दिनांक 26/05/2018 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि स्टेटशनगंज इटारसी स्थित नजूल शीट नंबर 14 प्लाट नंबर 21/1 वार्ड नंबर 32 सुभाषगंज तीसरी लाईन इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद पर निर्मित दो मंजिला भवन पर निर्मित एक दुकान

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3892/2018/होशंगाबाद/भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री जे0पी0शुक्ला व अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय त्रिपाठी व अनावेदक क्रमांक 1 सोहनकुमार रसाल स्वयं उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी नजूल अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	